भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *86
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

दिशा 2.0 योजना का कार्यान्वयन

†*86. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :

श्री दिनेशभाई मकवाणा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' ('दिशा') 2.0 योजना के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन की रूपरेखा, वित्तीय परिव्यय और उद्देश्यों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है :

(ख) हाल ही में शुरू किए गए 'विधि' संजीवनी घटक, जिसमें एक केन्द्रीकृत डिजिटल प्लेटफार्म की व्यवस्था है, के लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित न्याय सेतु चैटबॉट के कार्यान्वयन के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है ;

(घ) विशेषकर कोनासीमा और पलनाडु जिलों सहित आंध्र प्रदेश में कितने सामान्य सेवा केन्द्र निःशुल्क एवं धर्मार्थ आधार पर सेवाएं प्रदान करने वाले अधिवक्ता तथा क्लब हैं ; और

(ङ) दिशा 2.0 योजना के परिणामों का आकलन करने और अंतिम छोर तक न्याय की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>"दिशा 2.0 योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *86, जिसका उत्तर तारीख 24/07/2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) और (ख) : न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) 2.0 योजना, आंध्र प्रदेश सहित अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए 2026-31 की अवधि के लिए 255 करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दिशा 2.0 का उद्देश्य विधिक सेवाओं के लिए नागरिक अनुकूल समाधान प्लेटफार्मों की पहुंच को विकसित करने और बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसमें चार घटक, अर्थात् टेली-लॉ: रीचिंग द अनअचीड (सभी को मुकदमे से पूर्व नि:शुल्क सलाह); न्याय बंधु (नि:शुल्क विधिक सेवा) कार्यक्रम; विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम और विधि (समन्वित विधिक पहलों के परिदान के लिए दूरदर्शिता)-संजीवनी शामिल हैं ।

टेली-लॉ मुकदमे से पहले विधिक सलाह देने के लिए मोबाइल-ऐप और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ और पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी)/ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) पर उपलब्ध वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से लोगों को जोड़ता है । सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायकों को लगाया गया है, जो सक्रिय सामुदायिक आधारित विधिक सहायक हैं।

न्याय बंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन, अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को स्वेच्छा से विधिक सहायता प्रदान करते हैं। संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के लिए, देश भर के 23 उच्च न्यायालयों में नि:शुल्क पैनलों का गठन किया गया है। विधि छात्रों के बीच समुदाय के नेतृत्व वाली नि:शुल्क सेवाओं की संस्कृति को स्थापित करने के लिए, नि:शुल्क क्लब पूरे भारत के विधि विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत हैं।

विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाने और कार्यशालाओं, वेबिनार, आईईसी सामग्री, प्रसार भारती और अन्य के साथ सहयोग के माध्यम से विधिक जागरूकता फैलाने के लिए संस्थानों के साथ जुड़ने और हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ साझेदारी बनाने की परिकल्पना की गई है।

विधि (समन्वित विधिक पहलों के एकीकृत परिदान के लिए दूरदर्शिता) - संजीवनी को एक केंद्रीकृत एकीकृत डैशबोर्ड के विकास और संचालन के माध्यम से योजना की निगरानी तंत्र को बढ़ाने के लिए दिशा 2.0 के अधीन एक प्रमुख घटक के रूप में परिकल्पित किया गया है। डैशबोर्ड का उद्देश्य कार्यक्रम के प्रदर्शन, सेवा वितरण और कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए कई स्रोतों से वास्तविक समय डेटा स्ट्रीम को एकीकृत करने वाला एक सम्मिलित इंटरफेस प्रदान करना है। यह प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा समर्थन को

सुविधाजनक बनाने और एआई-संचालित सहायता तंत्र के माध्यम से उपयोगकर्ता के पारस्परिक प्रभाव में सुधार करने के लिए न्याय सेतु एआई चैटबॉट के साथ एकीकरण की परिकल्पना करता है। विधि संजीवनी में पांच वर्षों अर्थात् 2026-31 की अवधि में 50 लाख लाभार्थियों तक समग्र पहुंच की परिकल्पना की गई है और इसमें कोई राज्य-विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।

(ग) : जेनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी और बहु-मॉडल न्याय सेतु चैटबॉट प्लेटफॉर्म 29 मार्च, 2026 को आरंभ किया गया था। यह वाइस फस्ट इंटरफेस के माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं में सरल आवाज और पाठ प्रभाव के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं, अधिकारों और अगले चरणों को समझने में लोगों की सहायता करता है। यह हाइब्रिड रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) आर्किटेक्चर का उपयोग करता है ताकि यह सुनिश्चयित किया जा सके कि उत्तर कानूनी विधिक पाठ्य ग्रंथों पर आधारित है, जिससे एआई मतिभ्रम का जोखिम कम हो जाता है।

(घ) : कोनासीमा और पालनाडु जिलों सहित आंध्र प्रदेश में सामान्य सेवा केन्द्र, नि:शुल्क अधिवक्ता और नि:शुल्क क्लबों की संख्या निम्नानुसार है :

विवरण	आंध्र प्रदेश	कोनासीमा	पलनाडु
सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)	13,361	385	527
नि:शुल्क अधिवक्ता	742	जिला-वार डेटा नहीं रखा जाता है।	
नि:शुल्क क्लब	1. के.एल.ई.एफ. कॉलेज ऑफ लॉ, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 2. दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 3. विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	-	-

स्रोत: https://www.tele-law.in/ और https://probono-doj.in/home/index

(ङ) : योजना के परिणाम की निगरानी नियमित समीक्षा बैठकें, फील्ड विजिट और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष फीडबैक और एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के अतिरिक्त विधि-संजीवनी के माध्यम से की जाती है, जो एक केंद्रीकृत एकीकृत डैशबोर्ड है ।
